नकल आदेश दिनांक – 07/8/10

[आ०१२०१५]

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 25 सन 2010 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०ज०वि०अधिनियम

ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ।

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा सचिव कौशल कुमार प्रति उ०प्र०राज्य

निर्णय

उत्थान सेन्टर फार सस्टनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी, 18ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद ने ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की आ०सं० 8 रकबा 0.2280हे०, आ०सं० 9 रकबा 0.3650हे०, आ०सं०10 रकबा 0.2170हे० व आ०सं० 11 रकबा 0.3990हे० कुल 4 गाटा रकबा 1.2090हे० को अकृषक/शिक्षण संस्था, तकनीकी, चिकित्सीय एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है ।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई । नायब तहसीलदार दक्षिणी तहसील सदर की आख्या दिनांक 6-8-10 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे तहसीलदार सदर ने अग्रसारित किया है ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीपक्ष को सुना । नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 6-8-2010 में अंकित किया गया है कि प्रश्न-गत भूमियों पर उत्थान संस्था की शिक्षण संस्थान का भवन व मैदान व कुछ भाग खुली भूमि के रूप में है । सम्पूर्ण भूमि बाउन्ड्रीवाल से घिरी अकृषिक उपयोग में है। इससे स्पष्ट है कि भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है । इस कारण उक्त भूमि को इन्हें अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चकदादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1412-1417फ०क्र०सं० 00002 भूमि संख्या 8 रकबा 0.228हे०आ०सं० 9 रकबा 0.365हे०, आ०सं० 10 रकबा 0.217हे० व आ०सं० 11 रकबा 0.399हे० कुल चार गाटा रकबा 1.209हे० को अकृषिक घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । इसकी एक प्रति उप निबंधक सदर इलाहाबाद को भी भेजी जाए

सत्य प्रतिलिपि

ह०

अहलमद 07/8/10

कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद

ह० 7/8/X

(डी०एस०पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद ।

05
13.10

नकल आदेश दिनांक - 11/8/10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 26 सन् 2010 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0ज0वि0अधिनियम

ग्राम चक दादनपुर, परगना व तहसील सदर, जिला इलाहाबाद ।

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट प्रति उ0प्र0राज्य

एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा सचिव

कौशल कुमार

निर्णय

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी, 18ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद ने ग्राम चक दादनपुर, परगना व तहसील सदर, जिला इलाहाबाद की आ0 सं0 150 रकबा 0·8110 हे0, आ0सं0 151 रकबा 0·7280, आ0 संख्या 155 0·8280 कुल 3 गाटा रकबा 2·3670 हे0 को अकृषक/शिक्षण संस्था, तकनीकी, चिकित्सीय एवं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार दक्षिणी तहसील सदर की आख्या दिनांक 10-8-10 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे तहसीलदार सदर ने अग्रसारित किया है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीपक्ष को सुना। नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 10-8-2010 में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमियों पर उत्थान संस्था की शिक्षण संस्थान का भवन व मैदान व कुछ भाग खुली भूमि के रूप में है। सम्पूर्ण भूमि बाउन्ड्री-वाल से घिरी अकृषिक उपयोग मे है। इससे स्पष्ट है कि भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है। इस कारण इन्हे अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चकदादनपुर परगना व तहसील सदर, जिला इलाहाबाद की खतौनी 1414-1419 फसली आ0सं0 150 रकबा 0·8110 हे0, आ0सं0 151 रकबा 0·7280, आ0सं0 155 0·8280 कुल 3 गाटा रकबा 2·3670 हे0को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इसकी एक प्रति उप-निबंधक सदर इलाहाबाद को भी भेजी जाए।

सत्य प्रतिलिपि
Date- 10-8-10

(डी0 एस0 उपाध्याय) 10/8/10
उप जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद ।

न्यायालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद